भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 833
जिसका उत्तर बुधवार, 26 जून, 2019 को दिया जाना है

नौकरियों और राजसहायता हेतु दो बच्चों का मानदंड

833. प्रो. सौगत राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति वेंकटचलिया की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग ने नौकरियों और राजसहायताओं के लिए दो बच्चों का मानदंड लागू करने की सिफारिश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशें स्वीकार की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ;
(ङ) क्या किसी राज्य सरकार/सार्वजनिक मंचों ने इस संबंध में कोई आपत्ति जताई है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलिया की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग ने नौकरियों और सहायिकी को प्रदान करने के लिए दो बच्चों के मानदंड को प्रतिमानक के रुप में लागू करने की कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं की है।

(ख) से (च) : प्रश्न ही नहीं उठता।

****